भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2226

09 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

इस्पात का उत्पादन और प्रति व्यक्ति खपत बढाने के लिए कदम

2226. श्री परिमल नथवानी:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कच्चे इस्पात उत्पादन के मामले में वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति क्या है;

(ख) विश्व के विकसित देशों की तुलना में भारत की अनुमानित प्रति व्यक्ति इस्पात खपत कितनी होने का अनुमान है; और

(ग) इस्पात के उत्पादन और प्रति व्यक्ति खपत को बढाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क) भारत वर्ष 2018 में जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया और तब से उसी स्थान पर बना हुआ है।

(ख) केलेंडर वर्ष 2023 के लिए विश्व (वैश्विक औसत) और भारत में तैयार इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत के आंकड़े निम्नानुसार है:-

तैयार इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत (कि.ग्रा.)	
विश्व	भारत
219	95.2
स्रोत: वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन	स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति

(ग) इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और उत्पादित इस्पात से संबंधित निर्णय अलग-अलग इस्पात उत्पादकों द्वारा बाजार मांग और अन्य वाणिज्यिक सोच विचारों के आधार पर लिए जाते हैं। इसलिए, इस्पात की मांग की भविष्य की वृद्धि दर बाजार की मांग और अन्य वाणिज्यिक सोच विचारों पर निर्भर करती है। एक सुविधाप्रदाता के रूप में सरकार ने देश में इस्पात के उत्पादन और खपत में सुधार के लिए एक अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित करने हेतु निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

जारी....2/-

i. सरकारी अधिप्राप्ति हेतु 'मेड इन इंडिया' इस्पात को बढ़ावा देने के लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआईएंडएसपी) नीति का कार्यान्वयन।

ii. सरकार ने देश में 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजीगत निवेशों को आकर्षित कर आयात को कम करने के लिए विशेष इस्पात हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की है। पीएलआई योजना के तहत विशेष इस्पात हेतु 29,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश और विशेष इस्पात के लिए लगभग 25 मिलियन टन (एमटी) की अतिरिक्त क्षमता का सृजन अनुमानित है।

iii. भारतीय इस्पात को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, बजट 2024 में, फेरो निकल, जो एक कच्चा माल है, पर मूल सीमा शुल्क 2.5 % से घटाकर शून्य करते हुए इसे शुल्क मुक्त कर दिया है, जबकि फेरस स्क्रैप पर शुल्क की छूट को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

iv. इस्पात मंत्रालय ने दिनांक 25.07.2024 को लौह एवं इस्पात क्षेत्र के लिए अतिरिक्त 16 सुरक्षा दिशा-निर्देश प्रकाशित किए हैं। ये प्रक्रिया और कार्यस्थल आधारित सुरक्षा दोनों को कवर करते हैं। इससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी और कार्यस्थल सुरक्षा के माध्यम से उत्पादकता में सुधार आएगा।

v. घरेलू इस्पात उद्योग से संबंधित समस्याओं के समाधान तथा आयात की अधिक प्रभावी निगरानी के लिए इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) को नया रूप दिया गया और एसआईएमएस 2.0 को दिनांक 25.07.2024 को लॉन्च किया गया।

vi. इस्पात निर्माण हेतु अधिक अनुकूल शर्तों पर कच्चे माल की उपलब्धता को और अधिक सुगम बनाने के लिए अन्य देशों के अलावा मंत्रालयों व राज्यों के साथ समन्वय करना।

vii. घरेलू स्तर पर उत्पन्न स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाने हेतु इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित करना।

viii. आम जनता को बड़े पैमाने पर गुणवत्तापूर्ण इस्पात उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मानकों के अंतर्गत 145 इस्पात उत्पादों के लिए एक गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अधिसूचित किया गया।

ix. 'मेक इन इंडिया' पहल और प्रधानमंत्री गति-शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रेलवे, रक्षा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, आवासन, नागर विमानन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्रों सहित संभावित उपयोगकर्ताओं के साथ और अधिक सहभागिता के माध्यम से मदद कर रहा है।

x. इस्पात मंत्रालय ने इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना के एक हिस्से के रूप में स्ट्रक्चरल इस्पात का उपयोग करते हुए आंगनवाड़ियों तथा घरों के टाइप डिजाइनों के विकास के लिए परियोजना की शुरूआत की है।

जारी.....3/-

xi. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) जैसे इस्पात सीपीएसई ने ग्रामीण डीलरों को नियुक्त किया है तथा इस्पात के उपयोग के लाभों के संबंध में विशेष रूप से ग्रामीण भारत को जागरुक करने के उद्देश्य से विभिन्न संवर्धनात्मक गतिविधियों में भी शामिल किया है।

******